09-05-2026

आज दिनांक **09.05.2026** को नेशनल लोक अदालत की **खण्डपीठ क्रमांक–24** में यह प्रकरण क्रमांक SCNIA 57/2022 प्रस्तुत हुआ है।

परिवादी सहित श्री नीरज शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

इसी स्तर पर परिवादी बैंक द्वारा अधिकृत अधिकारी अवनीश शर्मा द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 एनआईए इस आशय का प्रस्तुत किया है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य आपसी सहमति से प्रकरण में निराकरण हो गया है और उनके द्वारा प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया। परिवादी की पहचान के संबंध में बैंक की आई.डी. पेश की एवं पहचान श्री नीरज शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत परिवाद परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण वर्तमान में अपराध विवरण हेतु नियत है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा स्वेच्छया राजीनामा होना व्यक्त किया है एवं परिवादी द्वारा स्वेच्छया राजीनामा उपरांत प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा बचाव साक्ष्य प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ***Sanjabij Tari vs Kishore S.Borcar criminal appeal no. 1755 of 2010*** में माननीय न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसारः–

(a) If the accused pays the cheque amount before recording of his evidence (namely defence evidence), then the Trial Court may allow compounding of the offence without imposing any cost or penalty on the accused.

उपरोक्त न्यायदृष्टांत अनुसार उभयपक्ष के मध्य राजीनामा बचाव साक्ष्य पूर्व हुआ है, ऐसे में कोई शमनीय शुल्क अधिरोपित नहीं की जाती है।

न्यायालय का यह समाधान है कि उभयपक्ष के बीच में राजीनामा आपसी सहमति से हो गया है, जिस कारण से न्यायालय के द्वारा राजीनामा स्वीकार करते हुए। विवादित चैक 65,500/– रूपये पर कोई व्यय राशि अधिरोपित नहीं की जा रही है और इस संबंध में ***न्यायदृष्टांत विधिक सहायता प्राधिकरण म.प्र. राज्य बनाम प्रतीक जैन एवं अन्य 2014 (10) एस.सी.सी.690*** अवलोकनीय है।

उभयपक्ष के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। इस कारण से उक्त राजीनामा आवेदन के आधार पर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त करने के संबंध में परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्त को सूचित करे।

कोर्ट फीस वापसी के संबंध में सुसंगत प्रमाण पत्र निर्मित

कर परिवादी को प्रदान किया जावें।

प्रकरण का परिमाण सी.आई.एस. में दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

श्री इकरार अहमद
(सदस्य)
ने0लोक अदालत
खंडपीठ क्र0–24
आरोन, गुना (म0प्र0)

भरत परमार
(पीठासीन अधिकारी)
ने0लोक अदालत
खंडपीठ क्र0–24
आरोन, गुना (म0प्र0)